न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 65/2021 निर्णय दिनांक :–20.07.2021

उनवानी दावा :

1. कैलाशचन्द उर्फ श्योकिशन पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.

–वादी–

बनाम

1. घीसी देवी पत्नि हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास)तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. हंसराज पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
3. सम्पतदेवी पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
4. दिलखुश पुत्र रामकिशन नाबालिग उम्र 5 वर्ष जरिये माता सम्पत देवी पत्नि राकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
5. राजवीर पुत्र रामकिशन नाबालिग उम्र 3 वर्ष जरिये माता सम्पत देवी पत्नि राकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास)तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
6. सीता पुत्री हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) नाबालिग जरिये माता सम्पत देवी
7. तहसीलदार दूनी जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

श्री प्रेम चन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री अनिल चौहान
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दावा उदघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख. नं. 263 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.57 है0, ख. नं. 264 रकबा 1.00 है0 खसरा नम्बर 384 रकबा 1.51 है0 ग्राम सरकाबास तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 264, 384 की 2.77 है0 भूमि वादी, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की है, ख. नं. 263, 386 की 2.77 है0 भूमि वादी, प्रतिवादी नं. 2 तथा मृतक रामकिशन की संयुक्त खातेदारी की है इसके अलावा ख0नं0 399, 401 किता 2 रकबा 1.80 है0 ग्राम सरकावास में तन्हा वादी का 1/45

हिस्सा है जिसमे वादी का नाम कैलाश पुत्र हजारी अंकित है, रामकिशन वादी का भाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस प्रतिवादी सं0 3 ता 5 है। वादी का घर पर नाम बचपन मे ही श्योकिशन रख दिया था तथा बाद मे पिता द्वारा पाठशाला मे भर्ती करवाते समय वादी का नाम कैलाशचन्द लिखवा दिया गया था, श्योकिशन वादी का घर का नाम था, वादी को शुरू से दोनो ही नामो से पुकारा जाता है, दोनो नाम वादी के ही है, हजारीलाल के तीन पुत्र जिसमे वादी, मृतक रामकिशन तथा प्रतिवादी नं0 2 हंसराज है, प्रतिवादी नं0 1 हजारीलाल की पत्नि तथा प्रतिवादी नं0 6 उसकी पुत्री है। वादी का नाम जमाबन्दी ख0नं0 264, 384 किता 2 रकबा 2.51 है0 तथा ख0नं0 399, 401 किता 2 रकबा 1.80 है0 मे कैलाश पुत्र हजारीलाल ही दर्ज है परन्तु ख0नं0 263, 386 किता 2 रकबा 2.77 है0 मे वादी का नाम कैलाशचन्द के स्थान पर श्योकिशन पुत्र हजारी अंकित कर दिया क्योकि श्योकिशन ही कैलाश है। दोनो अलग–अलग नही है बल्कि दोनो ही नाम वादी के ही है, ख0नं0 263, 386 किता 2 रकबा 2.77 है0 मे जमाबन्दी मे श्योकिशन के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल का अंकन करवाया जाना आवश्यक है। वादी का नाम सभी सरकारी दस्तावेज जिसमे पाठशाला की अंक तालिका वर्ष 2003, ख0नं0 264, 384 ख0नं0 399, 401 की जमाबंदियों, भामाशाह कार्ड, डी.एल., मतदाता पहचानपत्र, आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड में कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल तथा माता का नाम घीसीदेवी अंकित है। ग्राम पंचायत देवड़ावास द्वारा जारी प्रमाणपत्र मे भी कैलाश पुत्र हजारीलाल गुर्जर अंकित है। जमाबन्दी बाबत ख0नं0 263, 386 मे श्योकिशन के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल गुर्जर अंकित करने योग्य है।

प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा निम्नानुसार हैः– वाद पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 ता 9 कानूनी है जवाब कि आवश्यकता नही है। अतः जवाब दावा मय शपथ–पत्र पेरा कर निवेदन है कि वादी द्वारा चाही गई अभियाचना अ, ब स्वीकार है वादी का नाम श्योकिशन के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र हजारीलाल गुर्जर कर दिया जाये तो प्रतिवादीगण को एतराज नही है।

अधिवक्ता वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्यवादी नहीं करवाना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब पेश करने से साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करवाना जाहिर किया।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि कैलाश चन्द उर्फ श्योकिशन एक ही व्यक्ति है। गांव में श्योकिशन व कैलाश चन्द दोनो नामो से ही वादी को जाना जाता है। जिसके कारण वाद वर्णित आराजी ख. नं. 263, 386 किता 2 रकबा 2.77 है0 में वादी का नाम श्योकिशन पुत्र हजारी अंकित कर दिया जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक है। वादी के

सभी सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम कैलाश पुत्र हजारी है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2071–74 के ख. नं. 263, 386 में वादी का नाम शोकिशन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। गिरदावरी ग्राम सरकावास तहसील दूनी सम्वत 2076 में हजारी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 20.02.19 में खोला गया जिसमें हजारी के वारिसान में कैलाश का नाम पुत्र के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम पंचायत देवड़ावास द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2017, ड्राईविंग लाइसेंस जारी दिनांक 02.05.2008, पहचान पत्र दिनांके 18.04.2009, आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र श्री हजारी राम गुर्जर का अंकन है। उक्त राजस्व व सरकारी दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादी को श्योकिशन व कैलाश दोनो नामो से जाने व पुकारे जाने के कारण ख. नं. 263, 386 में वादी का नाम शोकिशन सहवन से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गया है। अतः जमाबन्दी संम्वत 2071–74 वाके ग्राम सरकावास तहसील दूनी के ख. नं. 263, 386 में अंकित वादी का नाम शोकिशन पुत्र हजारी को विलोपित कर शोकिशन के स्थान पर कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल जाति का नाम उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

कैलाशचन्द उर्फ श्योकिशन पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.

–वादी–

बनाम

1. घीसी देवी पत्नि हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास)तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. हंसराज पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
3. सम्पतदेवी पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
4. दिलखुश पुत्र रामकिशन नाबालिग उम्र 5 वर्ष जरिये माता सम्पत देवी पत्नि राकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
5. राजवीर पुत्र रामकिशन नाबालिग उम्र 3 वर्ष जरिये माता सम्पत देवी पत्नि राकिशन जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास)तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
6. सीता पुत्री हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी सरकाबास (देवड़ावास) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) नाबालिग जरिये माता सम्पत देवी
7. तहसीलदार दूनी जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 65 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रेम चन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू अनिल चौहान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबन्दी संम्वत 2071–74 वाके ग्राम सरकावास तहसील दूनी के ख. नं. 263, 386 में अंकित वादी का नाम शोकिशन पुत्र हजारी को विलोपित कर शोकिशन के स्थान पर कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल जाति का नाम उद्घोषित किया जाता है।

निजी...मुवक्किल...बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ... उपखण्ड अधिकारी

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।